

17/2/25

पत्रावली में उल्लेखित, वकील उभयपक्ष द्वारा वकील
अशर्मा ने बताया कि प्रकरण का मूल वाद
दि. 5/1/24 को फैसला के युक्त है, निर्णय
की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण का मूल वाद
निस्तारित हो जाये। निर्णय की प्रकृति से
आवश्यकता नहीं रह जाती है, प्राथमिक पर ड्रॉप
दिया जाता है। पत्रावली केवल युक्त लेखा
नेत्र से व्यक्त है।

सहायक क्लर्क एव
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

